कार्यालय, प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, इलाहाबाद।

दिनांक : अप्रैल 15, 2021

प्रशासकीय आदेश संख्या

आदेश

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पत्रांक 1944/I.XXXVII-CPC/e-Courts / Allahabad/Dated 14-04-2021 के अनुक्रम में अधीनस्थ न्यायालयों के संचालन हेतु नये दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त दिशा निर्देशों के आलोक में पारिवारिक न्यायालयों में न्यायिक कार्य संचालन हेतु दिनांक 16.04.2021 से अग्रिम आदेश तक निम्न व्यवस्था की जाती है:–

1– न्यायिक कार्यवाही सामान्य रूप से (Physical Mode)/ वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से निष्पादित की जाएगी ।

2–प्रधान पारिवारिक न्यायालय, इलाहाबाद सभी कार्य दिवसों में कार्यरत रहेगा ।

3–प्रधान पारिवारिक न्यायालय इलाहाबाद को चकानुसार निम्नलिखित न्यायालय सहयोग करेंगे :–

(i) सोमवार एवं शुकवार को अपर प्रधान पारिवारिक न्यायालय कक्ष संख्या–2 इलाहाबाद एवं अपर प्रधान पारिवारिक न्यायालय कक्ष संख्या–4 इलाहाबाद

(ii) मंगलवार एवं बृहस्पतिवार को अपर प्रधान पारिवारिक न्यायालय कक्ष संख्या–2 इलाहाबाद एवं अपर प्रधान पारिवारिक न्यायालय कक्ष संख्या–5 इलाहाबाद

(iii) बुधवार एवं शनिवार को अपर प्रधान पारिवारिक न्यायालय कक्ष संख्या–4 इलाहाबाद एवं अपर प्रधान पारिवारिक न्यायालय कक्ष संख्या–5 इलाहाबाद

4–केवल पचास प्रतिशत कर्मचारीगण चकानुसार न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना कार्य करेंगे ।

5–**न्यायालयों में निम्नलिखित न्यायिक कार्य निष्पादित किए जायेंगे :–**

(i)–आवश्यक दीवानी प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र तथा निषेधाज्ञा के प्रकरण ।

(ii)–ऐसे प्रकरण जिनमें माननीय उच्च न्यायालय का समयबद्ध त्वरित निस्तारण

है ।

(iii)—अन्य ऐसे अत्यावश्यक प्रकरण जिनका निस्तारण प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय आवश्यक एवं उचित समझते हों ।

6—नोडल अधिकारी कम्प्यूटर एवं सिस्टम ऑफिसर को आदेशित किया जाता है कि वे पारिवारिक न्यायालय का एक डेडिकेटेड ई—मेल बनाकर उसे जिला न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड करेंगे ।

7— न्यायालयों में अधिवक्तागण हेतु मात्र 4 कुर्सियां रखी जायेंगी तथा न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने वाले प्रत्येक न्यायिक अधिकारी/अधिवक्तागण/न्यायालय के कर्मचारीगण द्वारा मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग किया जायेगा तथा सुनवाई हेतु सामाजिक एवं भौतिक दूरी के दिशा—निर्देशों का पालन किया जायेगा ।

8—नोडल अधिकारी कम्प्यूटर एवं सिस्टम अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि वे जिला न्यायालय की वेबसाइट पर लैण्डलाईन/ मोबाइल नम्बर को प्रकाशित करेंगे जिस पर सूचीबद्ध मुकदमों की सूचनायें संबंधित पक्षकार/अधिवक्तागण को प्रदान किया जायेगा ।

9—जहां पर किसी प्रकरण की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से की जानी होगी वहां पर वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के लिंक को संबंधित अधिवक्तागण को सूचित किया जायेगा और संबंधित अधिवक्तागण उक्त प्रकरण में उक्त लिंक के माध्यम से सहभागिता कर सकेंगे ।

10—सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी) को आदेशित किया जाता है कि वे आदेश के व्यापक प्रचार—प्रसार करने हेतु समुचित कार्यवाही करेंगे ।

11—सभी विद्वान अधिवक्तागण एवं वादकारियों को निर्देशित किया जाता है कि केवल वे ही न्यायालय परिसर में प्रवेश करेंगे जिनके मामले सुनवाई हेतु सूचीबद्ध हों ।

12—प्रभारी अधिकारी स्टेटमेंट को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यशील न्यायालयों से दिन—प्रतिदिन निस्तारित मामलों की सूची प्राप्त कर उसे समेकित करेंगे एवं मेरे माध्यम से सी0पी0सी0 माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित करायेंगे ।

13—समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे पूर्व में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यालय से बाहर नहीं जायेंगे ।

14—उपरोक्त न्यायालयों के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों के आशुलिपिक को निर्देशित किया

कि वे अग्रिम आदेश तक अपनी उपस्थिति प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान पारिवारिक न्यायालय, इलाहाबाद के कार्यालय में दर्ज करायेंगे जिससे उन्हें उपरोक्त न्यायालयों में कहीं पर अतिरिक्त कार्य होने पर/ अथवा आवश्यक होने पर संबंधित न्यायालय में कार्य करने हेतु आदेशित किया जा सके ।

15–इस आदेश को जनपद न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए ।

16–समस्त पीठासीन अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त पत्रांक में उपबंधित ए… प्रकरण में जिनमें सुनवाई किया जाना अतिआवश्यक हो अथवा उचित हो में प्रधान पारिवारिक न्यायालय, इलाहाबाद को सूचना देकर ऐसे प्रकरणों की सुनवाई सुनिश्चित करें।

तदनुसार सभी संबंधित सूचित हों ।

दिनांकः अप्रैल 15, 2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1–अध्यक्ष एवं महामंत्रीगण, जिला अधिवक्ता संघ इलाहाबाद ।
2–सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इलाहाबाद ।
3–पारिवारिक न्यायालय, इलाहाबाद के समस्त पीठासीन अधिकारीगण ।
4–नोडल आफिसर/सिस्टम आफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, इलाहाबाद ।

(Sunil Kumar) 15/04/21

(सुनील कुमार–चतुर्थ)
प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायाल[य]
इलाहाबाद।

दिनांकः अप्रैल 15, 2021